

सभी क्षेत्रीय / शाखा कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी,
In charges of All Regional Offices / Branch Offices,
लखनऊ / मुंबई एवं नई दिल्ली स्थित प्रधान कार्यालय के
सभी उद्-भागों, स्वावलंबन शैक्षणिक केंद्र, भुवनेश्वर एवं सभी क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कक्षों के प्रमुख,
Heads of all H.O. Verticals at Lucknow, Mumbai and New Delhi,
Head, SAC Bhubaneswar & All Regional Audit Cells

टीआरएमवी परिपत्र सं.08 / 2019-20 / TRMV Circular No.08 / 2019-20

महोदया / प्रिय महोदय / Madam / Dear Sir,

सावधि जमा की परिपक्वता पर देय ब्याजदर का पुनरीक्षण
Revision in interest payable on maturity of Fixed Deposits

कृपया सावधि जमा योजनाओं के बारे में कोषागार एवं संसाधन प्रबंध उद्-भाग के 26 नवम्बर, 2015 के मास्टर परिपत्र सं. 9 / 2015-16 और उत्तरवर्ती मास्टर परिपत्रों का संदर्भ लें।

Please refer to TRMV Master Circular No.9/ 2015-16 dated November 26, 2015 and subsequent Master Circulars regarding Fixed Deposit Scheme.

2. समीक्षा के उपरांत यह निर्णय किया गया है कि परिपक्वता के बाद और परिपक्वता तिथि से 14 दिनों के बाद नवीनीकरण पर देय ब्याज की पुनरीक्षित दर निम्नानुसार रहेगी:-

On a review, it has been decided to revise the interest payable after maturity & renewal after 14 days from the maturity date, as under -

बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

स्वावलंबन भवन, सी 11, जी ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. दूरभाष: +91 22 6753 1100 | फैक्स: +91 22 6722 1528

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

Swavalamban Bhavan, C-11, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 Tel.: +91 22 6753 1100 | Fax: +91 22 6722 1528

Toll Free No.: 1800 22 6753

www.sidbi.in | www.udyamimitra.in

 sidbiofficial  SIDBIOfficial  sidbiofficial  SIDBI(Small Industries Development Bank of India)  SIDBI Official

क्रम सं. Sr. No.	मौजूदा नियम और शर्तें Existing Terms & Conditions	पुनरीक्षित नियम और शर्तें Revised Terms & Conditions
मास्टर परिपत्र के क्रम सं. 17 (परिपक्वता पर देय राशि की अदायगी) 17 of Master Circular (Payment of maturity proceeds)	<p>“.....यदि परिपक्वता पर भुगतान/ नवीकरण का अनुरोध सिडबी सावधि जमा जारी करने वाले शाखा कार्यालय में प्राप्त होता है</p> <p>If the request for maturity payment/ renewal is received at the FD issuing branch office of SIDBI</p> <p>○ परिपक्वता तिथि से 14 दिनों के पहले, कोई ब्याज देय नहीं होगा। हालांकि, नवीकरण परिपक्वता तारीख से किया जा सकता है।</p> <p>Before 14 days, from maturity date, no interest shall be paid. However, renewal can be effected from the date of maturity.</p> <p>○ 14 दिनों के बाद, परिपक्वता की तारीख से भुगतान / नवीकरण तक 4% साधारण ब्याज की दर से स्रोत पर लागू कर कटौती के बाद निवल का भुगतान किया जाएगा। नवीकरण के मामले में उस शाखा कार्यालय में, जहाँ मूलतः सावधि जमा किया गया है, अनुरोध की प्राप्ति की दिनांक से प्रभावित किया जाएगा।</p> <p>After 14 days, then simple interest at 4% p.a. shall be paid net of applicable TDS from the date of maturity till payment/ renewal. In case of renewal then the same shall be effected from the date of receipt of request at the Branch office where the FD has been originally placed.....”</p>	<p>“.....यदि परिपक्वता पर भुगतान/ नवीकरण का अनुरोध सिडबी सावधि जमा जारी करने वाले शाखा कार्यालय में प्राप्त होता है</p> <p>If the request for maturity payment/ renewal is received at the FD issuing branch office of SIDBI</p> <p>○ परिपक्वता तिथि से 14 दिनों के पहले, कोई ब्याज देय नहीं होगा। हालांकि, नवीकरण परिपक्वता तारीख से किया जा सकता है।</p> <p>Before 14 days, from maturity date, no interest shall be paid. However, renewal can be effected from the date of maturity.</p> <p>○ 14 दिनों के बाद, परिपक्वता की तारीख से भुगतान / नवीकरण तक, भारतीय स्टेट बैंक के बचत खाते (साधारण ब्याज) की ब्याजदर से स्रोत पर लागू कर कटौती के बाद निवल का भुगतान किया जाएगा। नवीकरण के मामले में उस शाखा कार्यालय में, जहाँ मूलतः सावधि जमा किया गया है, अनुरोध की प्राप्ति की दिनांक से प्रभावित किया जाएगा।</p> <p>After 14 days, SBI's Saving Bank Rate (simple interest) shall be paid net of applicable TDS from the date of maturity till payment/ renewal. In case of renewal then the same shall be effected from the date of receipt of request at the Branch office where the FD has been originally placed.....”</p>




3. उक्त आशोधन परिपत्र जारी किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा।

The modification shall be effective from the date of issue of the Circular.

4. कृपया इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने कार्यालय के सभी स्टाफ सदस्यों को अवगत कराएँ।

Please bring the contents of this circular to the notice of all the staff members in your office.

भवदीय / Yours faithfully,





[जी सुब्रमणियन / G Subramanian]
उप महाप्रबंधक / Dy. General Manager